

मिट्टी तेल आवंटन

संख्या-01 /2018/713/29-7-2017-एम-143/2006 टी0सी0

प्रेषक,

कुलदीप कुमार रस्तोगी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
- 2- राज्य स्तरीय समन्वयक,
भारतीय तेल निगम,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

खाद्य एवं रसद अनुभाग-7

लखनऊ: दिनांक 12 जनवरी, 2018

विषय:-भारत सरकार से प्रदेश को वित्तीय वर्ष 2017-18 के चतुर्थ त्रैमास के माह जनवरी, फरवरी व मार्च, 2018 के लिये प्राप्त मिट्टी के तेल का मासिक कम्पनीवार आवंटन।
महोदय,

भारत सरकार, पेट्रोलियम प्लानिंग एण्ड एनालिसिस सेल, नई दिल्ली (पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय) के पत्र संख्या-डी-11013/01/2017-IV दिनांक 26-12-2017 द्वारा चतुर्थ त्रैमास के माह जनवरी, फरवरी व मार्च, 2018 के लिये 221964 के0एल0 मिट्टी के तेल का आवंटन उपलब्ध कराया गया है।

2- प्रश्नगत मिट्टी के तेल के आवंटन के संबंध में आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत दो प्रकार के लाभांशित परिवारों की श्रेणी अर्थात् पात्र गृहस्थी एवं अन्त्योदय का चयन किया गया है। ऐसी स्थिति में भारत सरकार से प्राप्त प्रति माह आवंटन के सापेक्ष दिनांक 02 जनवरी, 2018 तक पात्र गृहस्थी राशनकार्ड धारकों में 02 लीटर प्रति राशनकार्ड एवं अन्त्योदय राशनकार्ड धारकों में 3.5 लीटर प्रति राशनकार्ड के आधार पर आवंटन तैयार किया गया है। यह आधार एक दिशा-निर्देश के रूप में परिचायक स्वरूप होगा। भारत सरकार से आगामी त्रैमासों में मिट्टी के तेल के आवंटन में कमी व बढ़ोत्तरी के फलस्वरूप उसी प्रकार आवंटन को संशोधित किया जायेगा। तदनुसार प्रदेश के समस्त जनपदों को संलग्न तालिका के अनुसार मासिक आवंटन किया गया है। (संलग्न प्रति)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

3- (क) जिलाधिकारी, कन्नौज द्वारा अपने पत्र संख्या-3764-ए/जि0पु0अ0-मि0तेल/17, दिनांक 21-11-2017 के माध्यम से जनपद कन्नौज में कार्यरत एच0पी0सी0 के 02 तथा आई0ओ0सी0 के 03 थोक विक्रेताओं के पास कुल अवशेष 152 के0एल0 मिट्टी तेल के समायोजन हेतु किये गये अनुरोध के दृष्टिगत 12 के गुणांक में आई0ओ0सी0 कम्पनी को आवंटित तेल में 24 के0एल0 तथा एच0पी0सी0 कम्पनी को आवंटित तेल में 12 के0एल0 प्रति माह का आवंटन कम करते हुए कुल 36 के0एल0 प्रति माह मिट्टी के तेल का समायोजन किया गया है तथा जनपद हेतु कुल आवश्यक तेल में तथा कम्पनीवार आवंटित तेल में उक्त समायोजित तेल को कम करते हुए संलग्न तालिका में दर्शाया गया है। उक्त समायोजित किये गये तेल का वितरण जनपद में अवशेष तेल में से कराया जाय।

(ख) जिलापूर्ति अधिकारी, गाजियाबाद द्वारा अपने पत्र संख्या-2623/जि0पू0अ0-मि0तेल अनुभाग/2017, दिनांक 27 दिसम्बर, 2017 के माध्यम से जनपद गाजियाबाद में आई0ओ0सी0 कम्पनी में 420 के0एल0, बी0पी0सी0 कम्पनी में 88 के0एल0 एवं एच0पी0सी0 कम्पनी में 56 के0एल0 कुल 564 के0एल0 मिट्टी का तेल अवशेष बताते हुए इसका समायोजन करने की, की गयी अपेक्षा के क्रम में 12 के गुणांक में एच0पी0सी0 कम्पनी का 12 के0एल0 बी0पी0सी0 कम्पनी का 24 के0एल0 तथा आई0ओ0सी0 कम्पनी का 132 के0एल0 प्रति माह अर्थात् कुल 168 के0एल0 प्रतिमाह का समायोजन करते हुए इसे कुल आवश्यक तेल में तथा कम्पनीवार आवंटित तेल में कम करते हुए संलग्न तालिका में दर्शाया गया है। उक्त समायोजित किये गये तेल का वितरण जनपद में अवशेष तेल में से कराया जाय।

(ग) जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा अपने पत्र संख्या-2526/जि0पू0अ0/पै0उ0-मि0तेल आवं/2017-18, दिनांक 15 दिसम्बर, 2017 के माध्यम से जनपद गौतमबुद्धनगर में विगत त्रैमास की तुलना में 48 के0एल0 प्रति माह मिट्टी तेल कम आवंटित करने के अनुरोध के क्रम में आई0ओ0सी0 कम्पनी में 48 के0एल0 प्रति माह का आवंटन कम किया गया है तथा जनपद हेतु कुल आवश्यक तेल में एवं कम्पनीवार आवंटित तेल में उक्त समायोजित तेल को कम करते हुए संलग्न तालिका में दर्शाया गया है। उक्त समायोजित किये गये तेल का वितरण जनपद में अवशेष तेल में से कराया जाय।

4- यह भी कहने का निदेश हुआ है कि पात्र गृहस्थी राशनकार्ड धारकों में 02 लीटर प्रति राशन कार्ड एवं अन्त्योदय राशनकार्ड धारकों में 3.5 लीटर प्रति राशनकार्ड मिट्टी के तेल के वितरण के उपरांत जो भी तेल अवशेष बचेगा उसे जिलाधिकारी जनपद स्तर पर सुरक्षित रखते हुए इसका लेखा-जोखा रखेंगे।

5- प्रत्येक त्रैमास में शासन स्तर से उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं परन्तु अधिकांश जनपदों से मिट्टी के तेल का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं हो रहा है। यह स्थिति संतोषजनक नहीं है। अतः प्रत्येक माह पात्र गृहस्थी एवं

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

अन्त्योदय राशनकार्ड धारकों में वितरित मिट्टी के तेल की पूरी मात्रा निर्धारित प्रारूप पर तहसीलवार आगामी माह की 10 तारीख तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराया जाय ताकि मिट्टी के तेल के दुरुपयोग/व्यवर्तन पर अंकुश लगाया जा सके। इस हेतु संबंधित जिलापूर्ति अधिकारी सीधे उत्तरदायी होंगे।

6- उक्त के अतिरिक्त यह भी निदेश है कि शासनादेश संख्या-2490/29-6-2015-सा/98, दिनांक 06 अक्टूबर, 2015 में प्रावधानित व्यवस्था के अनुसार मिट्टी के तेल के उठान, वितरण एवं सत्यापन हेतु रोस्टर के निर्धारण का अनुपालन सुनिश्चित करें।

कृपया उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक-कम्पनीवार ब्रेक-अप।

भवदीय,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)

अनु सचिव।

संख्या-01/2018/713(1)/29-7-2017-तददिनांक

प्रतिलिपि आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग, 30प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-01/2018/713/29-7-2017-एम-143/2006 टी0सी0, दिनांक 12 जनवरी, 2018 का संलग्नक

क्र0	जनपद का नाम	आई0ओ0सी	एच0पी0सी0	बी0पी0सी0	योग
1-	आगरा	888	180	312	1380
2-	अलीगढ़	828	168	288	1284
3-	इलाहाबाद	1404	288	504	2196
4-	अम्बेडकर नगर	780	0	0	780
5-	अमेठी	504	96	180	780
6-	अमरोहा	420	288	0	708
7-	औरैया	348	72	132	552
8-	आजमगढ़	984	228	348	1560
9-	बागपत	240	48	96	384
10-	बहराइच	1044	444	0	1488
11-	बलिया	864	180	300	1344
12-	बलरामपुर	420	0	288	708
13-	बांदा	456	0	300	756
14-	बाराबंकी	900	192	324	1416
15-	बरेली	1044	216	396	1656
16-	बस्ती	552	0	372	924
17-	बिजनौर	768	156	276	1200
18-	बदायूं	684	144	240	1068
19-	बुलन्दशहर	804	168	276	1248
20-	चन्दौली	432	84	156	672
21-	चित्रकूट	288	0	120	408
22-	देवरिया	744	156	264	1164
23-	एटा	612	0	0	612
24-	इटांवा	408	84	144	636
25-	फैजाबाद	564	120	192	876
26-	फर्रुखाबाद	252	0	384	636

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

27-	फतेहपुर	624	132	216	972
28-	फिरोजाबाद	564	324	0	888
29-	गौतमबुद्धनगर	396	0	0	396
30-	गाजियाबाद	360	84	156	600
31-	गाजीपुर	816	168	288	1272
32-	गोण्डा	756	156	288	1200
33-	गोरखपुर	1092	216	396	1704
34-	हमीरपुर	276	0	168	444
35-	हापुड	252	180	0	432
36-	हरदोई	1116	228	408	1752
37-	हाथरस	360	72	132	564
38-	जालौन	396	84	156	636
39-	जौनपुर	1104	216	396	1716
40-	झांसी	432	288	0	720
41-	कन्नौज	360	252	0	612
42-	कानपुर देहात	420	288	0	708
43-	कानपुर नगर	948	192	336	1476
44-	कासगंज	312	204	0	516
45-	कौशाम्बी	396	0	240	636
46-	लखीमपुर खीरी	1092	240	384	1716
47-	कुशीनगर	1080	216	396	1692
48-	ललितपुर	312	192	0	504
49-	लखनऊ	912	180	348	1440
50-	महोबा	0	72	288	360
51-	महराजगंज	984	0	0	984
52-	मैनपुरी	432	0	288	720
53-	मथुरा	624	132	216	972
54-	मऊ	516	108	192	816
55-	मेरठ	636	144	240	1020
56-	मिरजापुर	600	120	216	936

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

57-	मुरादाबाद	684	144	240	1068
58-	मुजफ्फरनगर	660	132	240	1032
59-	पीलीभीत	612	0	156	768
60-	प्रतापगढ़	696	0	432	1128
61-	रायबरेली	768	168	276	1212
62-	रामपुर	552	120	192	864
63-	सहारनपुर	708	144	276	1128
64-	सम्भल	492	96	180	768
65-	संतकबीरनगर	696	0	0	696
66-	संतरविदास नगर (भदोही)	384	0	252	636
67-	शाहजहांपुर	684	144	240	1068
68-	शामली	264	60	108	432
69-	श्रावस्ती	264	0	180	444
70-	सिद्धार्थनगर	588	0	408	996
71-	सीतापुर	1164	228	432	1824
72-	सोनभद्र	456	0	336	792
73-	सुल्तानपुर	588	120	216	924
74-	उन्नाव	840	168	324	1332
75-	वाराणसी	816	168	288	1272
	योग	47316	9492	16416	73224

भवदीय,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)

अनु सचिव।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।